माननीय न्यायमूर्ति ए. एल. बहरी और एच. एस. बेदी, के समक्ष

राजबीर और अन्य- याचिकाकर्ता,

बनाम

सहायक संग्रहकर्ता, प्रथम श्रेणी, नरवाना, जिला जींद और अन्य,- उत्तरदाता।

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 10953।

8अक्टूबर, 1991

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम- 1961, 7(1) और (4)-शीर्षक का प्रश्न - दावे के समर्थन में प्रस्तुत हलफ़नामा का स्वामित्व- निर्धारण का पक्ष- सहायक कलेक्टर का आदेश की स्वामित्व का कोई प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए, आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है - ऐसा आदेश - चाहे अपील करने योग्य हो।

यह अभिनिर्णित किया गया है कि पेश किए गए व्यक्तियों के हलफनामे, ध्यान में रखने के साक्ष्य होंगे। मामले से जुड़े हलफ़नामों को का क्या महत्वता देनी है, यह पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्धारित करता है। चूँकि, वर्तमान मामले में, धारा 7(1) परंतुक के

तहत दायर आवेदन को, यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उससे संबंधित कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था, इसलिए सहायक कलेक्टर का ऐसा आदेश धारा 7(1) के तहत विचार किए गए स्वामित्व के प्रश्न का अंतिम निर्णय होगा। यह प्रावधान इस मामले पर लागू होगा और अधिनियम की धारा 7(4) के तहत अपील कायम रहेगी।

(पेरा २ और ३)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि: -

(ए) सहायक संग्रहकर्ता प्रथम श्रेणी, नरवाना- प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 16 जुलाई, 1991 (अनुलग्नक पी-१०) के आक्षेपित आदेश को अवैध, अधिकारपूर्ण, शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना बताते हुए प्रमाणपत्र, परमादेश, निषेध आदि की प्रकृति में याचिका पारित की जा सकती है, और प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जा सकता है कि वह इस मामले में शामिल स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय ले। ग्राम पंचायत, प्रतिवादी संख्या 2 के मुख्य आवेदन और उसके निर्णय पर आगे की कार्यवाही करने से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मामले

और प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 के मुख्य आवेदन में कार्यवाही को स्वामित्व के प्रश्न के निर्णय तक स्थगित करने का भी निर्देश दिया जा सकता है:

(ब) कोई अन्य याचिका, आदेश या निर्देश, जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय, समानता और अच्छे विवेक के संदर्भ में उचित समझे, जारी किया जा सकता है;

(सी) मामले के अभिलेख प्रतिवादियों से तलब किए जा सकते हैं:

(डी) उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की सूचना से छूट दे दी जाए स:

(ई) अनुलग्नक पी -1 से पी -10 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की छूट दे दी जाए; और

(फ़) इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए, जिसमें सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी नरवाना, प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष ग्राम पंचायत, प्रतिवादी संख्या 2 के मुख्य आवेदन में

आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और इस माननीय न्यायालय में वर्तमान सिविल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान विचाराधीन भूमि से याचिकाकर्ताओं का कब्जा बेदखल किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से - श्री पी. एन. अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए - श्री आर एन लोहान, अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

1. राजबीर सिंह और अन्य ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी नरवाना द्वारा पारित 16 जुलाई, 1991 (अनुबंध P.१०) के आदेश को रद्द करने के लिए यह रिट याचिका दायर की है। ग्राम पंचायत द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हरियाणा पर लागू पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट की धारा के तहत ग्राम आबादी (विचाराधीन परिसर) में स्थित भूखंडों के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें स्वामित्व के

वास्तविक प्रश्न को उठाया गया था और सहायक कलेक्टर से पहले उक्त प्रश्न पर निर्णय लेने का आह्वान किया गया था। यह आवेदन धारा 7 (1) के तहत दायर किया गया था। इस आवेदन के साथ, याचिकाकर्ताओं ने कुछ ग्रामीणों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए। सहायक कलेक्टर ने इन हलफनामों का संदर्भ दिए बिना कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वामित्व का कोई प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं किया गया था और आक्षेपित आदेश पारित किया। प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी और ग्राम पंचायत की ओर से लिखित बयान दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्तियां ली गई थीं क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास अपील का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और गुण-दोष के आधार पर, सहायक कलेक्टर ने आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया था।

2. हमने पक्षों के वकीलों को सुना है और हमारा मानना है कि आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई योग्य है। श्री पी. एन.

अग्रवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने **सरवन सिंह और अन्य बनाम ग्राम पंचायत बालद कटान और अन्य** (1) में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अपील अधिनियम के प्रावधान के तहत सुनवाई योग्य नहीं थी और उपलब्ध एकमात्र उपाय रिट अधिकार क्षेत्र था। मामले के तथ्यों का अध्ययन करने पर, हम पाते हैं कि लागू आदेश लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का था, जाहिर है, स्थगन आदेश पारित करने के बाद, विवाद के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। जहां तक वर्तमान आवेदन का संबंध है, उठाए गए स्वामित्व के प्रश्न पर विवाद का निर्णय अंततः सहायक कलेक्टर द्वारा किया गया था। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि पेश किए गए व्यक्तियों के साक्ष्य को ध्यान में रखा जाएगा। इस मामले में शामिल हलफ़नामों पर मूल्य जोड़ा जाए, यह पूरी तरह से अधिकारियों को निर्धारित करना है। चूंकि, वर्तमान मामले में, धारा 7 (1) परंतुक के तहत दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि

प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं था, इसलिए ऐसा आदेश धारा 7 (1) के तहत विचार किए गए स्वामित्व के प्रश्न का अंतिम निर्धारण होगा-

"गांव में अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर, या तो स्वत: संज्ञान या पंचायत या गांव के निवासी या खंड विकास और पंचायत अधिकारी या सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी या किसी अन्य द्वारा किए गए आवेदन पर कर सकते हैं। ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा अधिकृत ओमेइर, ऐसी संक्षिप्त जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो निर्धारित की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति को, जो भूमि या अन्य अचल संपत्ति पर गलत या अनधिकृत कब्जे में है, बेदखल कर देगा। उस गांव के शमिलत देह में जो इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या निहित माना जाता है और पंचायत को उसके कब्जे में रखता है और के लिए। ऐसा करने पर प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 के तहत भूमि के कब्जे

के लिए डिक्री के निष्पादन के संबंध में राजस्व अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं”।

परंतुक: "बशर्ते कि यदि ऐसी किसी कार्यवाही में स्वामित्व का प्रश्न उठाया जाता है (और प्रथम दृष्टया साबित हो जाता है) तो धारा 13-ए के तहत स्वामित्व का प्रश्नप्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर पहले निर्णय लेंगे।

3. उपर्युक्त प्रावधान इस मामले पर लागू होगा, अपील धारा 7 (4) के तहत सुयोग्य मानी जायेगी। याचिकाकर्ता को अपील करने और मामले में शामिल अन्य सवालों को उठाने के लिए छोड़ दिया गया है। हम मामले की गंभीरता पर टिप्पणी करने से स्वयं को रोकते है। हो सकता है कि वास्तविक कारणों से, याचिकाकर्ताओं ने अपील न्यायालय के पास जाने की बजाए, इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यदि अपील आज से एक महीने के भीतर दायर की जाती है तो अपील को सुनने के लिए सीमा के सवाल को लिमिटेशन

के रूप में नहीं उठाया जाएगा। याचिकाकर्ता सहायक कलेक्टर

के समक्ष कार्यवाही पर रोक के संबंध में कोई अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए अपीलीय अदालत से संपर्क कर सकते हैं। सहायक कलेक्टर अंततः एक महीने के लिए याचिकाकर्ता के निष्कासन के सवाल का निर्धारण नहीं करेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा